"प्ररूप–4"

(नियम 26)

नामांकन पत्र

पद का नाम – पंच / सरपंच / सदस्य पंचायत समिति / सदस्य जिला परिषद् (टिक का निशान (√) लगाएं)..............................

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् का नाम ....

वार्ड संख्या (पंच, ग्राम पंचायत तथा सदस्य पंचायत समिति / सदस्य जिला परिषद् हेतु) ....

उम्मीदवार का नाम ....

पिता अथवा पति का नाम ....

आयु .... व्यवसाय ....

पता..............................

मोबाईल संख्या .... ई–मेल आई0डी0 ....

इससे पूर्व लड़े गए चुनावों की संख्या, यदि कोई हो..............................

जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति /पिछडा वर्ग (क) का सदस्य है, तो वह विशेष जाति जिससे सम्बन्धित है:–

क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली पर उम्मीदवार की संख्या ....

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं सरपंच / पंच / सदस्य, पंचायत समिति / सदस्य, जिला परिषद् के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में स्वयं नामांकित हो गया हूँ / हो गई हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं नीचे अभिकथित तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 175 में दी गई कोई अयोग्यता नहीं रखता हूँ / रखती हूँ।

कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो.–

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में :–

(i) जब तक उसको सिद्धदोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन किसी अपराध; अथवा

(ii) जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्धदोष न हो गया हो और कम से कम छः मास के कारावास से दण्डित रहा हो; अथवा

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है; अथवा

(ग) न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो; अथवा

(घ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (1953 का 4) तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 (1961 का 3) के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के मद्दे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं से निर्मुक्त न कर दिया गया हो; अथवा

(ङ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो; अथवा

(च) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है; अथवा

(छ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है; या

(ज) किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवहार में स्वयं का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है; अथवा

(झ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील किये गये किसी नोटिस के पश्चात, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है; अथवा

(ञ) सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है; अथवा

(ट) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है; अथवा

(ठ) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है; अथवा

Form Set-1 A

(ड) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पट्टे के लिये किसी अभिधृति का धारक, अभिधारी या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे या अभिधृति के किराये के बकाया है; अथवा

(ढ) निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है; अथवा

(ण) सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष इक्कीस प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है; अथवा

(त) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित अभिलेख तथा पंजिया तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विर्निदिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता; अथवा

(थ) इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकार के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है;

(द) नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है:

परन्तु खण्ड (थ) तथा (द) के अधीन ऐसी निर्रहता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी।

व्याख्या 1 :– कोई भी व्यक्ति खण्ड (छ) के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति :–

(क) किसी संयुक्त स्टाक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत सोसायटी में कोई अंश या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जायेगा; अथवा

(ख) किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये; अथवा

(ग) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है; अथवा

(घ) एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है; अथवा

(ड) अचल सम्पति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के विक्रय या क्रय में, अथवा ऐसे पट्टे, विक्रय या कय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है; अथवा

(च) किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यदा–कदा किये जाने वाले विकय जिसमें वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से क्रय में जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है।

व्याख्या 2 :– कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड (झ) में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा।

तिथि ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो किसी अनुसूचित जाति / पिछडा वर्ग (ए) का सदस्य है

मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं .... जाति का / की सदस्य हूँ, जो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग (क) के रूप में घोषित की गई है।

तिथि ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

जांच का प्रमाण पत्र

मैंने उम्मीदवार की पात्रता की जांच कर ली है और यह पाया है कि वह निर्वाचन के लिये खड़ा होने के योग्य है और इसलिये मैं ... . नामांकन पत्र स्वीकार करता हूँ

मैने इस नामांकन पत्र की जांच की है और इसे निम्नलिखित कारणो से रद्द करता हूँ।

तिथि ....

नामांकन पत्र की जांच करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

उम्मीदवार को दिया गया चुनाव प्रतीक .... है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

✂ ....

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाना)
सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र

क्रम संख्या .... यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय .... में (तिथि तथा समय) .... सपुर्द किया गया है।

तिथि ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

"प्ररूप 4–क

(देखिए नियम 26 (3) तथा 27)

कृपया यहाँ अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं।

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् ....के वार्ड संख्या.........................ब्लाक ....जिला .... के मिर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र सहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग–क

मैं ....**पुत्र/पुत्री/पत्नी ....आयु.................वर्ष, जो.. ....(पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि :–

(1) मैं ....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया या अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो काट दें)

(2) मेरा नाम...(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम) में वार्ड संख्या...........................की क्रम संख्या.........................पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं ....है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो)..... ....है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो)निम्नलिखित है/हैं:

(i) ....
(ii) ....
(iii) ....

(4) स्थाई लेखा संख्या (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी दायर करने की स्थिति:–

क्रम संख्या	नाम	स्थाई खाता संख्या	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित–1			
4.	आश्रित–2			
5.	आश्रित–3			

(5) लम्बित आपराधिक मामले–

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लम्बित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लम्बित नहीं है, तो इस विकल्प पर निशान लगाएं और नीचे विकल्प (ii) के सामने **लागू नहीं होता** है लिखें)।

या

(ii) मेरे विरूद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लम्बित हैं :–
(यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं, तो इस विकल्प पर निशान लगाएं और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे दी गई सारणी में सभी लम्बित मामलों का ब्यौरा दें)

सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या			
(ख)	न्यायालय के नाम सहित मामला संख्या			
(ग)	अन्तवर्लित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, 1860 आदि की धारा..........)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ड़)	क्या आरोप विरचित किये गये हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(च)	यदि उपरोक्त मद (ड.) के सामने उत्तर हां है, तो वह तिथि दें, जिसको आरोप विरचित किये गये थे।			
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरूद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर किया गया है। (हां या नहीं का उल्लेख करें)			

(6) दोषसिद्धि के मामले –

(i) मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया तो इस विकल्प पर निशान लगाएं और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:–
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है, तो इस विकल्प पर निशान लगाएं और उपरोक्त विकल्प(i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्या			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अन्तवर्लित अधिनियमों / संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात भारतीय दंड संहिता, 1860 आदि की धारा....................)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है।			
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तिथियां			
(च)	अधिरोपित दंड			
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान स्थिति दें)			

(7) मैंने, ऊपर पैरा (5), (6) में दिये गये अनुसार मेरे विरूद्ध सभी लम्बित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

(अभ्यर्थियों, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) की प्रविष्टियों के दृष्टिगत, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए)

टिप्पण :–

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न खानों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे लिखित रूप से दिये जायें।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामले पहले वर्णित किए जायें और अन्य मामलों के लिए तिथियों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किए जाएं।
4. अतिरिक्त शीट जोड़ी जा सकती है, यदि अपेक्षित हो।
5. अभ्यार्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में सभी सूचनाएं देने हेतु उत्तरदायी है।

(8) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल इत्यादि) के ब्यौरे नीचे देता हूं:

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण: 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाएगा।

टिप्पण: 2– जमा / निवेश की दशा में, क्रम संख्या, रकम, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण: 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में स्टाक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य दिया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4– "आश्रित" से अभिप्राय है, अभ्यर्थी के माता–पिता, पुत्र / पुत्रों, पुत्री / पुत्रियों अथवा पति / पत्नी तथा अभ्यर्थी से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति चाहे रक्त संबंधी या विवाह द्वारा, जिसकी किसी अन्य स्त्रोतों से कोई आमदनी नहीं है तथा अपने जीवन यापन हेतु पूर्ण रूप से अभ्यर्थी पर निर्भर हैं।

टिप्पण: 5–रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के संबंध में पृथकत्या दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवर्ती, जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी शामिल हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में निवेश के ब्यौरे और रकम					

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पॉलिसियों में निवेश के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निवेश और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास इत्यादि सम्मिलित हैं, को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/ याच / पोत (मेक रजिस्ट्रकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष के ब्यौरें और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे दें)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	सकल कुल मूल्य					

आ. अचल आस्तियों के ब्यौरेः

टिप्पण:1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करने वाली संयुक्त स्वामित्व में सम्पत्तियां को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण:2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमैंट का इस फार्मेट में पृथकत्या वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	**कृषि भूमि : अवस्थिति** (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	**गैर कृषि भूमि** : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

Form Set-2 B

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याए)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित):– अवस्थिति (अवस्थितियां)–सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(9) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:–
(टिप्पणः कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग–अलग विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	**बैंक / वित्तीय संस्था**(संस्थाओं) को ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की किस्म					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या देय नाम, बकाया रकम, ऋण की किस्म					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देयः सरकारी आवास से संबंधित विभागों को देय	(अ) क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? (आ) यदि उपरोक्त (अ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:– (i) सरकारी आवास का पताः				**हां / नहीं** (कृपया उपयुक्त विकल्प पर निशान लगाएं)

		(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित में से कोई भी देय भुगतान योग्य नहीं है:– (क) भाटक ; (ख) विद्युत प्रभार ; (ग) जल प्रभार और (घ) ....(तिथि) को टेलीफोन प्रभार (तिथि उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, से तीन मास पूर्व की अंतिम तिथि या उसके पश्चात् की कोई तिथि होनी चाहिए) **टिप्पण.**– उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत सम्बद्ध अभिकरणों से "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।				
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (जिसमें वायुयान और हेलीकॉप्टर भी शामिल है)					
		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
(iv)	आय कर देय					
(v)	माल और सेवा कर देय					
(vi)	पंचायत / संपत्ति कर देय					
(vii)	कोई अन्य देय					
(viii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतवर्लित रकम और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष वह लंबित है, का उल्लेख करें।					

(10) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे –
- (क) स्वयं ....
- (ख) पति या पत्नी ....

(11) आय के स्त्रोतों के ब्यौरे–
- (क) स्वयं ....
- (ख) पति या पत्नी ....
- (ग) आश्रितों की आय के स्रोतों, यदि कोई हो ....

(12) समुचित सरकार और किसी सार्वजनिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं –
- (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....
- (ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....
- (ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....
- (घ) हिंदू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....
- (ङ) भागीदारी फर्म द्वारा की गई संविदाएं जिसमें अभ्यर्थी या पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं, के ब्यौरे ....
- (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई सविदाओं, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं, के ब्यौरे.. ।

(13) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:–

....

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–आ

(14) भाग–अ के (1) से (13) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरणः–

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु·
2.	डाक का पूरा पता	
3.	वार्ड संख्या तथा ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् का नाम	
4.	राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है	

7.		..................की स्थायी लेखा संख्या	वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी दायर की गई है	कुल दर्शाई गई आय
	अभ्यर्थी			
	पति या पत्नी			
	आश्रित			

8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)						
		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
अ		चल आस्तियां (कुल मूल्य)					
आ		अचल आस्तियां					
	(i)	स्वार्जित अचल संपति की क्रय कीमत					
	(ii)	क्रय के पश्चात् अचल संपति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)					
	(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमतः (क) स्वार्जित सम्पति (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी देय (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी देय					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता– (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)					

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ किः

(क) मेरे विरूद्ध उपरोक्त भाग अ और आ के मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है।

(ख) मेरे, मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग–अ की मद 8 और 9 में तथा भाग आ के मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित से भिन्न कोई भी आस्तियांया दायित्व नहीं है।
आज ....20................के..................दिन को ....को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पणः 1 शपथपत्र / घोषणा नामांकन भरने की तिथि को 3 बजे से पहलेतक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2 पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के मामले में प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले उपमण्डल अधिकारी (सिविल) / तहसीलदार / नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हों) के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3 ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच के पद के लिंय चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के मामले में उस द्वारा सूचना सादे कागज पर तैयार करके देनी होगी।

टिप्पणः 4 सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में प्रस्तुत करने हेतु कोई जानकारी नहीं है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", या "ज्ञात नहीं है," जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखितकिया जाना चाहिए।

टिप्पणः 5 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।''।

प्ररुप 4–ख

(देखिये नियम 26 (4) तथा 27)

....(ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् का नाम, वार्ड संख्याः– ....ब्लॉक.. ....जिला ....को निर्वाचन के लिए रिटरनिंग आफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र और प्ररुप–4 क सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

मै..पुत्र / पुत्री / पत्नी...................... आयु........................ वर्ष........... (पूरा डाक पता वर्णित करें) का / की निवासी हूं उपरोक्त निर्वाचन से उम्मीदवार हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं / करती हूं, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं / करती हूंः–

(1) मैं...................(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार हूं / स्वतंत्र उम्मीदवार के रुप में लड़ रहा हूं / रही हूं।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ....(ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् का नाम), वार्ड संख्या...................में क्रम संख्या ....पर है।

(3) मेरा सम्पर्क / टेलीफोन नं0 ....है और मेरा ई–मेल आई डी (यदि कोई हों) ....है।

(4) यह कि मैंने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में यथा अधिकथित के अधीन निम्न अयोग्यता प्राप्त नही की हैः–

(क) मैं किसी ऐसे अपराधिक मामले जो दस वर्ष के कारावास से कम दण्डनीय नहीं है, में सिद्वदोश नहीं किया गया हूं और मेरे विरुद्व आरोप भी नही लगाए गये है।

(ख) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाईटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी और किसी प्रकार के देय के किन्हीं बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। कथित संख्या संस्थाओं से आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ग) मैं बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं, सम्बन्धित विद्युत उपयोग का आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) मैंने किसी मान्यता प्राप्त / बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके परीक्षा पास की है।

या

मैंने मिडल कक्षा पास की हैं।

(किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)

या

मैंने पांचवी कक्षा पास की हैं।

(पंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ रही अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में) सम्बद्व संस्था / बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

(ङ) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपर नामित, अभिसाक्षी, इसकी द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस शपथ पत्र की विषय–वस्तु मेरी सवौत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

अभिसाक्षी

टिप्पण 1:– शपथ पत्र/घोषणा, नामाकंन भरने के अंतिम दिना को 3 बजे से पहले तक फाईल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2:– पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सदस्य के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के मामले में जो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र की अधिकारियता रखने वाले उपमण्डल अधिकारी (ना0)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गईं हों) के सम्मुख शपथ–पत्र पर प्रस्तुत की जाएगी।

टिप्पण 3:– ग्राम पंचायत के पंच तथा संरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के मामले में उस द्वारासूचना सादे कागज पर तैयार करके देनी होंगी।

टिप्पण 4:– सभी कॉलम भरें जाने चाहिएं और कोई कॉलम खाली न छोड़े। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नही होता जैसी भी स्थिति हों, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 5:– शपथ पत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठय तथा साफ–साफ लिखी होनी चाहिए।